"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2012—चैत्र 31, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

क्रमांक ई-1-2/2003/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/33/2006-एआइएस (I), दिनांक 13-4-2007 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम-6 (1) के अंतर्गत श्री पी. रमेश कुमार, भा.प्र.से. (WB:1986) की सेवायें छत्तीसगढ़ शासन को अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष के लिये सौंपी गई थी. श्री पी. रमेश कुमार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में दिनांक 26-4-2007 को कार्यभार ग्रहण किया गया है.

2. अतएव श्री पी. रमेश कुमार, भा.प्र.से. की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 25-4-2012 को समाप्त होने के फलस्वरूप उनकी सेवायें पैतृक संवर्ग (पश्चिम बंगाल शासन) को दिनांक 25-04-2012 (अपरान्ह) से वापस लौटाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2012

क्रमांक एफ 2-3/2012/1-8.—छत्तीसगढ़ मंत्रालय में पदस्थ निम्नलिखित उप सचिवों को तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में दर्शाये गये विभाग में पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	नवीन पद स्थापना (3)
1.	श्री जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	लोक निर्माण विभाग
2.	श्री एम. एम. मिंज, उप सचिव, लोक निर्माण विभाग.	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

क्रमांक एफ 2-7/2011/1-8.—इस विभाग के आदेश क्रमांक बी-1-1/2012/एक/4, दिनांक 30-03-2012 द्वारा श्री के. डी. कुंजाम (रा.प्र.से.आर.आर.-96, प्रवर श्रेणी) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पदस्थापना उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर किये जाने के फलस्वरूप आदेशानुसार उन्हें नवीन पदस्थापना का कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 31-03-2012 (अपरान्ह) से कार्यमुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 4-2/2008/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 12 मार्च, 2012 से 16 मार्च, 2012 तक (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा अवकाश पूर्व दिनांक 7 से 11 मार्च, 2012 एवं अवकाश पश्चात् 17 एवं 18 मार्च, 2012 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 09 अप्रैल 2012

क्रमांक/ई 02-09/2011/एक/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से. (सीजी-1978) जिन्हें इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2011 द्वारा निलंबित किया गया था, को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 के नियम-3 के उप नियम 7 (सी) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबन से बहाल किया जाता है. श्री राधाकृष्णन के पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे.

2. श्री टी. राधाकृष्णन की निलंबन अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/337.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	करिगांव प.ह.नं. 06	0.020	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	करिगांव सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/338.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	बेलादुला प.ह.नं. 12	0.117	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6 सक्ती.	2 आर. माइनर, कचंदा उप वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/339.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	कोटेतरा प.ह.नं. 06	2.522	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6 सक्ती.	कोटेतरा माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 मार्च 2012

क्रमांक 13/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	कोहरौदा प.ह.नं. 39	1.89	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	दलदली व्यपवर्तन योजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	सेमरापाली प. ह. नं. 17	0.233	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	भेड़वन प. ह. नं. 07	0.036	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मधुबन जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	छर्रा प. ह. नं. 28	0.065	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मुधबन जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	भीखमपुरा प. ह. नं. 28	0.073	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मधुबन जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 12 मार्च 2012

क्रमांक/259/भू-अर्जन/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बलौदाबाजार
(ख) तहसील-कसडोल
(ग) नगर/ग्राम-अर्जुनी, प.ह.नं. 02
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.153 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	9/1	0.024
	9/2	0.024
	9/3	0.024
	10	0.081
योग	4	0.153

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-अर्जुनी, बल्दाकछार मार्ग के खरखरा नाला पर पुल निर्माण कार्य के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) -जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(ख) तहसील-बिल्हा
(ग) नगर/ग्राम-खुड़ियाडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.71 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
26/4	0.32
26/6	0.34
26/7	0.35
26/8	0.57
26/9	0.57
35	0.70
26/3	0.63
26/10	0.45
36/1	0.28
109/1	0.27
109/3	0.55
26/12	0.20
44/2	0.17
44/1	0.43
26/2	0.02
115/1	0.53
44/3	0.26
43	0.05

(1)	(2)
105/1	0.03
42/1	0.30
42/2	0.20
37/2	0.75
41	0.10
102/2	0.72
100/1	0.30
101/1	0.27
105/2	0.29
106	0.08
107/3	0.12
130/1	0.24
124	0.15
108/2	0.07
130/3	0.05
130/2	0.08
108/6	0.17
115/2	0.05
109/2	1.00
109/4	0.09
126/1क	0.02
125	0.88
127/2	0.25
207/3	0.18
127/3	0.63
योग	13.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के मोहतरा डिस्ट्ब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 मार्च 2012

क्रमांक 770/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-सरखों, प. ह. नं. 49
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.61 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1298/4	0.30
1291/32	0.01
1290/7	0.05
1298/10	0.05
1289/1	0.10
1427/1	0.15
1663/3	0.23
1679/12	0.39
1715/3	0.08
1585/1	0.30
1828/3	0.08
1827/6	0.03
1772/1	0.01
1772/5	0.08
1468/1	0.14
1755/2	0.28
1776/4	0.07
1831/1	0.08
1395/1	0.02
1291/5	0.04

(1)	(2)
1681/2	0.02
1787/3	0.07
योग 22	2.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 मार्च 2012

क्रमांक 02 क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-लछनपुर, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.27 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
695/2	0.17
714/4	0.05
714/3	0.10
714/1	0.20
714/2	0.18
696/1	0.20
689/1	0.05
696/2	0.10
693, 694	0.60
636	0.10
570	0.45
627	0.15
695/1	0.20
637	0.02
571	0.10
572	0.19
606	0.05
604	0.20
605	0.10
603/2	0.21
601	0.20
600/1	0.45
600/2	0.15
599/2	0.15
635	0.10
569	0.10
573	0.15
562	0.40
561	0.15
योग 29	5.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- 2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत सीधी सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

क्रमांक 88/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 03/अ. 82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-आरंग
(ग) नगर/ग्राम-रमचण्डी, प. ह. नं. 72/15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.368 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
295/10	0.131
295/13	0.089
295/14	0.162
295/15	0.137
295/16	0.162
295/17	0.182
295/18	0.117
295/19	0.141
295/20	0.087
295/21	0.040
295/22	0.020
295/27	0.774
689/1	0.185
689/2	0.141
योग 14	2.368

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत एयरपोर्ट विस्तार (पार्किंग) हेतु निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

सक्ती, दिनांक 9 अप्रैल 2012

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 697.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम मरघट्टी, तहसील मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम मरघट्टी, प.ह.नं. 20, तहसील-मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) तक मेसर्स अथेना छत्तीसगढ़ पावर लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	162/2	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	162/4	0.15
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	161	0.27
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	166/2	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	167/1	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	167/4	0.07
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	168/5	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	169/5	0.23
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	171	0.37
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	172/5, 174/4	0.22
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	172/3, 174/3	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	172/2, 174/2	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	172/1, 174/1	0.17
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	117/4	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	175	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	180/1	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	181/2	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	113/1	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	113/2	0.18
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	102/1	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	102/3	0.03
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	108	0.14
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	109/1	0.09
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	109/2	0.08
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	85/5k	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	85/5kh	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	85/4	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	81/6	0.14
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	81/7	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	81/1	0.13
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	81/2	0.11
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	81/8	0.09
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	77/1	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	76/2	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	55	0.22
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	54	0.14
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	496/1	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	496/2	0.13
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	74	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	73	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	56/2	0.30
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	498	0.25
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	511/1	0.20
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	513	0.19
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	518/1, 518/2, 518/3	0.19
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	518/4, 518/5, 518/8, 518/9	0.20
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	518/10, 518/11, 518/12	0.19
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	518/6, 518/7	0.19
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	520/1	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	521/1	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	521/2	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	522/1Ka	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	522/3	0.24
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	523/1	0.34
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	523/2	0.30
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	524	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	749, 748, 750/5	0.32
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	750/2	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	747/1, 750/6	0.07
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	744/2, 745, 746	0.40
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	640/3	0.17
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	644/1	0.54
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	643/1	0.15
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	84	0.08
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	112/1	0.15
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	137/1	0.11
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	138	0.12
		कुल	**67**	**10.19**

सक्ती, दिनांक 9 अप्रैल 2012

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 701.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम देवगांव, तहसील मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम देवगांव, प.ह.नं. 19, तहसील-मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) तक मेसर्स अथेना छत्तीसगढ़ पावर लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	836/1	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	834/1Ka	0.01
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	834/2Kh	0.03
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	838/1	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	838/2	0.11
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	838/3	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	842/1	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	843/3	0.08
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	845/3	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	845/4	0.08
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	846	0.01
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	321/4	0.07
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	321/5	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	292/2	0.13
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	304	0.01
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	290/1	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	291/1	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	291/2	0.18
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	287/2	0.18
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	287/3	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	307	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	308	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	309	0.01
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	283	0.11
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	287/1	0.11
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	285/1	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	285/2	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	178/1	0.04
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	178/5	0.09
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	179/1	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	179/3	0.09
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	200	0.09
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	198/2	0.13
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	199	0.01
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	211/2	0.19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	209	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	211/4	0.20
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	211/5	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	125/1	0.18
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	210	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	124	0.03
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	213	0.15
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	215/1	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	215/3	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	215/6	0.01
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	215/10	0.04
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	208/1ka	0.01
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	214	0.08
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	217	0.04
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	215/23, 118/10	0.01
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	215/24, 216/11	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	297/1	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	297/2	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	125/2	0.08
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	215/8	0.06
		कुल	55	4.04

सक्ती, दिनांक 9 अप्रैल 2012

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 705.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम मिरौनी, तहसील मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम मिरौनी, प.ह.नं. 20, तहसील-मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) तक मेसर्स अथेना छत्तीसगढ़ पावर लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	796/1	0.08
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	796/2	0.11
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	796/3	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	809	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	810	0.11
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1140/1	0.09
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1582/1	0.04
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1582/2	0.03
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1583/1	0.04
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1583/2	0.04
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1584	0.08
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1585	0.04
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1581	0.25
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1587	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1554/3	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1580/1	0.25
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1558	0.16
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1559/2k	0.18
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1563/1, 1564/1	0.11
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1563/3, 1564/3	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1562	0.09
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1527	0.13
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1526/1	0.04
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1526/2	0.11
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1528/4	0.08
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1528/3	0.08
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1529/4	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1529/2	0.09
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1529/5	0.09
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1530/2	0.21
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1524/1	0.07
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1417/1	0.15
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1417/2	0.04
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1422/1	0.04
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1422/2	0.03
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1422/3	0.09
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1422/4	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1423/3	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1421	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1426/2	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1426/3	0.14
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1401/2	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1401/5	0.03
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1390/4	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1390/5	0.07
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1391	0.19
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1389/3	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1380	0.07
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1381	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1382	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1383	0.16
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1387/4	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	812	0.20
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	814/1	0.13
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	814/2	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	814/4	0.13
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	927	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	928/1	0.07
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	928/3	0.07
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	929/1	0.07
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	930/1	0.07
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	941/1Ka	0.09
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	942/1	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	943	0.09
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	946/1	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	945/1	0.07
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1673	0.06
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1674/1	0.04
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1675	0.04
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1676/1	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1681	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1683/1	0.03
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1683/2	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1683/3	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1684/3	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1685	0.08
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1669	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1635/1	0.11
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1635/2	0.11
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1635/3	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1634/2	0.04
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1634/1	0.03
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1631, 1632	0.11
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1614, 1615	0.12
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1613	0.09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1612	0.09
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1611	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1610/2	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1610/4	0.16
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1623/1625	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1133/2	0.11
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1133/1	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1134/1	0.07
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1134/2	0.07
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1336/1	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1337/5	0.13
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1138	0.02
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1599/1	0.04
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1407/5, 1408/5, 1409/5	0.34
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	813/1	0.27
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1407/1, 1408/1, 1409/1	0.07
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	806/1	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	806/2	0.10
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1679/, 1678, 1680	0.15
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1123	0.05
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	1124/3	0.03
		कुल	**106**	**9.06**

समीर बिस्नोई,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)